उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-129/2020 /3953/71-1-2020-जी-103/2018
लखनऊ : दिनांक 22 अक्टूबर, 2020

विज्ञप्ति/नियुक्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती केरूप में सहायक आचार्य,गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-34/26/डी0आर0/सेवा-8/2019-20, दिनॉक 06-05-2020 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल डा0 गौरव गर्ग (रजि0नं0-53200000778), अनारक्षित पता-हाउस नं0-230, बी0-14आर्य नगर, नई बस्ती, जनपद बिजनौर,उ0प्र0-246701 को मेडिकल कालेज, प्रयागराज में सहायक आचार्य, गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी के पद पर वेतन एकेडेमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे रू0 68,900) में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

(1) संबंधित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

(2) संबधित अभ्यर्थी दिनॉक 20.11.2020 तक अवश्य अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।

(4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियो को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।

(6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होगें:-

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हो, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाणपत्र।

(2) अभियोजन लम्बित न होने तथा मा0 न्यायालय में वाद विचाराधीन न होने अथवा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न होने के संबंध में शपथपत्र।

(3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण-पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण-पत्र।

3- जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष नही हुआ है, वे संबंधित जनपदके मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जाएगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।

डा0 रजनीश दुबे
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:-129/2020/3953(1)/71-1-2020- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करे।
4- प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, प्रयागराज/कानपुर।
5- कोषाधिकारी,/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज/कानपुर।
6- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, प्रयागराज/कानपुर।
7- संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
8- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।